

2/3/21

पत्रावली पेश हुई। बाकी अधिका
वादीगण की ओर से कोई उपस्थित
नहीं है। न्यायालय परिसर के बाहर
बार-बार आवाज लगावाई गई।
बावजूद आवाज के कोई भी हाजिर
नहीं आया प्रतीत होता है कि वादी
अपने वाद का चलाने का उद्युक्त
नहीं है। वाद वाली अफ्द हाजरी अफ्द
फैरवी में खारीज किया जाना उचित
समझते हैं।

अतः वादी का वाद अफ्द हाजरी
अफ्द फैरवी में खारीज किया जा रहा है।
पत्रावली फुसल शुमार होकर मम्बर में
कट है। कारिल कपतर है। फुला
खुले न्यायालय में सुनाया गया।

महायक कलक्टर एच
मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक